राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः 5658 दिनांकः 13 जुलाई, 2018

खुली निविदा सूचना संख्या–07/2018–19

राजभवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की दर संविदा हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें मय सामग्री विवरण के राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in पर दिनांक 16.07.2018 को दोपहर 12.00 बजे से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	टेण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि
1	**राजभवन जयपुर में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदान करने हेतु**	3,00,000	6,000	200	26.07..2018

निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से प्रदाय की जा रही सेवा का नाम लिखा हो, **कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन जयपुर** के कार्यालय में निर्धारित दिनांक 26.07.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी जो उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

बोली दस्तावेज की राशि व **बोली प्रतिभूति राशि** बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे। बिना बोली दस्तावेज राशि, **बोली प्रतिभूति राशि** अथवा निश्चित **बोली प्रतिभूति राशि** से कम राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

(लोकेश कुमार सहल)
कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

क्रमांकः 5659 दिनांकः 12 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी (**IT**), राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना दस्तावेज को राजभवन पोर्टल **www.rajbhawan.rajasthan.gov.in** तथा राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर शीघ्र अपलोड कराने हेतु।
4. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ), राजभवन, जयपुर, को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, राजभवन, जयपुर को खुली निविदा सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड

आवश्यक शर्ते

कार्य का नामः– राजभवन में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की दर संविदा बाबत।

1. कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 3,00,000/– है। निविदादाता को बोली प्रतिभूति (अमानत) राशि के बतौर रूपये 6000/– (अक्षरे रू. छ हजार रूपये मात्र) निविदा के साथ जमा करवाने होंगे।
2. निविदा दिनांक 26.07.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में राज्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 26.07.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. निविदादाता को अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत करनी होंगी।
5. राजभवन में होने वाले समारोह/कार्यक्रम के दौरान फर्म का दक्ष इलैक्ट्रीशियन मय हेल्पर (आवश्यकतानुसार संख्या में) आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगें।
6. बिजली सम्बन्धित उक्त कार्यो/सप्लाई से जनित किसी भी दुर्घटना/नुकसान के लिये राजभवन सचिवालय/राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होंगे।
7. राज्यपाल सचिवालय में अति विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं। निविदादाता निर्देशानुसार निर्धारित स्थानों पर लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण चाहे समय पर व्यवस्था करवायेगा।
8. स्वीकृत निविदादाता को कार्यादेश में, आदेशित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करवाकर राशि रूपये 500/– (अक्षरे पांच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि के पेटे जमा अमानत राशि, धरोहर प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।
9. लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की अनुमोदित की गई दर संविदा की कालावधि करार पत्र निष्पादन तिथि से एक वर्ष होगी। इस कालावधि के दौरान कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
10. लाईटिंग व्यवस्था किराये की दरें राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के लिये होगी तथा अग्रिम भुगतान की कोई शर्त मान्य नही होगी।
11. निविदादाता लिफाफे पर **"राजभवन में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदान करने की दरें हेतु"** अवश्य अंकित करेगा।
12. निविदादाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
13. निविदा दरों में कांट–छांट नहीं की जावें।
14. निविदा दरें पैन से भरी होनी चहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
15. निविदा दरों की इकाई जैसे प्रति वर्ग फुट/प्रति रनिंग फुट/प्रति आईटम/प्रति दिन आदि स्पष्ट लिखा जावें।
16. निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावें।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार http:/sppp.rajasthan.gov.in (स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) एवं राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर भी निविदा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

व. लेखाधिकारी — कन्ट्रोलर — सहायक सचिव

(मुहर:) गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर, राज्यपाल, हाऊसहोल्ड | आसू सिंह, सहायक सचिव, राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय
राज भवन, जयपुर

चैक लिस्ट

प्रस्तुत निविदाओ के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर सलंग्न किये जावें।

(1) निविदादाता की ओर से दिये जाने वाला पत्र (निविदा प्रपत्र) ।

(2) निविदा की शर्ते ।

(3) आपूर्ति/कार्य/सेवा की दरो की सूची।

(4) **बोली दस्तावेज एवं** अमानत राशि जमा कराने की रसीद/बैंकर्स चैक/डी.डी/चालान

(5) वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति

(6) आयकर स्थाई खाता सं.(PAN) की प्रति

(7) करार पत्र

(8) निविदादाता की घोषणा

(9) Annexure A- Conflict of Interest.

(10) Annexure B- Declaration by the Bidder.

(11) Annexure C- Grievance Redressal during Procurement Process.

(12) Annexure D- Additional conditions of contract.

नोटः– (1) प्रपत्रो मे चाही गई सूचनाऐ/जानकारी अपूर्ण होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

(2) प्रत्येक प्रलेख पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।

(3) निविदा में अंकित की गई दरों में कोई ओवरराइटिंग नही की जावें। यदि कोई संशोधन किया गया है तो पृथक से अंकित कर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

व. लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर	सहायक सचिव
गुप्ता	कुमार सहल कन्ट्रोलर राज्यपाल, हाऊसहोल्ड	आसू सिंह सहायक सचिव राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

सचिव, दिनांक
राज्यपाल, राजस्थान
राज भवन, जयपुर।

विषयः– राजभवन में समय–समय पर आयोजित होने वाले समारोहों में लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु।

1. फर्म का नाम व डाक का पता टेलीफोन नम्बर सहित ....
2. सन्दर्भ ....
3. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– मात्र रसीद संख्या व दिनांक ....
4. बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक संख्या .... जो (बैंक का नाम ....) पर आहरित है/नकद रसीद संख्या ....दिनांक ....रूपये 6000/– मात्र के लिए बोली अमानत राशि के पेटे संलग्न किया गया है।
5. उद्धृत की गई लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने की दर संविदा की कालावधि करार पत्र निष्पादन तिथि से एक वर्ष होगी इस कालावधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर निविदा नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से वस्तु एवं सामग्री/सेवा आदि का व्यवसाय करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
7. फर्म का सम्बन्धित वस्तु एवं सामग्री/सेवा आदि का मुख्य रूप से वर्तमान में व्यवसाय चालू हालत (Running condition) में होना चाहिए।
8. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) तथा Shop Act के अधीन दुकान का रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रतियों संलग्न है।
9. सचिव, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या एफ. 18(3)आरबी/निविदा/2017–18/............ दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न पृष्ठों में दी गई, उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्यता स्वीकार करते हैं। **(चेक लिस्ट के अनुसार सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये है।)**
10. लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण किराये पर प्रदाय करने हेतु दरें संलग्न प्रारूप में दी गई है।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

13/7/18

व. लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर
लोकेश कुमार सहल
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

सहायक सचिव
आलू सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, रा.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/रिटेल विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/ सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से अपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ....माह .... सन् 2017 को एक पक्ष के.................. (जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के .... को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम .... में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. एवं चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपये .... की राशि .... निम्न प्रकार से जमा करायी है:
   - i. ''ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा'';
   - ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
   - iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   - iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।
   - v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत
     जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर........ के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता .... और उसके ...... में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या .... तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

4. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से On Line की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:–

   i. बैंक का नाम एवं पता :–..

   ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :–...

   iii. बैंक खाता संख्या :–...

   iv. बैंक IFSC कोड नं :–...

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी:–

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणीः (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदी प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह .... सन् 2018 को अपने हस्ताक्षर किए ।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

(लेखाधिकारी गुप्ता)
लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड

सहायक सचिव
आसू सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

Annexure A: Compliance with the Code of Integrally and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

i. not offer any. bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

ii. Not misrepresent or molt that misleads or all empts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

iii. Not Indulge In any callusing, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

iv. Not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage In the procurement processes;

v. Not Indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

vi. Not obstruct and Investigation or audit of a procurement process;

vii. Disclose conflict of interest, if any; and

viii. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by and other procuring entity

Conflict of Interest:-

The Bidder participation in a bidding process must not have a confect of interest.

A Conflicts of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations or compliance it he applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with cash other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or incidence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding processor
e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification for all Bids in Which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion to the same subcontractor, not otherwise participation as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of fits affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical speciation's of the Goods, Works or Services that are the subject to the Bid; or
g. Bidder are any of its affiliates has been dried (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-en-change/consultant for the contract.

लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर	सहायक सचिव
गुप्ता वरिष्ठ लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर राज्यपाल, हाऊसहोल्ड	आसू सिंह सहायक सचिव राज्यपाल, राजस्थान

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

व. लेखाधिकारी ... गुप्ता वरिष्ठ लेखाधिकारी	कन्ट्रोलर लोकेश कुमार राउल कन्ट्रोलर राज्यपाल, हाऊसहोल्ड	सहायक सचिव आसू सिंह सहायक सचिव राज्यपाल, राजस्थान

अनुलग्नक 'स'

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Secretary to Governor, Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Cabinet Sectt., GoR, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
   (i)hear all the parties to appeal present before him: and
   (ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

13/7

व0 लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

13/7

कन्ट्रोलर
लोकेश कुमार सहल
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

13/7/18

सहायक सचिव
आसू सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the init price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contact, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit priese or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at5 the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

13/7

वरि.लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

13/7

कन्ट्रोलर
लोकेश कुमार सहल
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड

13/7/18

सहायक सचिव
आसू सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :...
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :...
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

वरि.लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी
13/7

कन्ट्रोलर
लोकेश कुमार सहल
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड
13/7

सहायक सचिव
13/7/18
आसू सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

निविदा दरें (वित्तीय बिड़)

लाईटिंग संबंधी सामग्री एवं उपकरण

क्र. सं.	सामान	दरें प्रति नग/प्रतिदिन/ प्रति रनिंग फुट	दरें
1	हेलोजन लाईट (500 वॉट)	प्रति नग	
2	हेलोजन लाईट (1000 वॉट)	प्रति नग	
3	पारकेन लाईट्स (1000 वॉट)	प्रति नग	
4	LED पारकेन लाईट्स	प्रति नग	
5	मैटल लाईट (250 वॉट)	प्रति नग	
6	मैटल लाईट (400 वॉट)	प्रति नग	
7	निवार पट्टी लाईट (6.2V–60 बल्ब)	लडी 60 बल्ब	
8	ब्रेकिट लाईट (कट ग्लास)	प्रति नग	
9	झालर लाईट (6.2V–60 बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
10	झालर लाईट (15W बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
11	झालर लाईट (25W बल्ब)	लडी प्रति 60 बल्ब	
12	थ्री फेस लाईट अस्थाई वायरिंग (फिलैक्सिबल पाईप सहित)	प्रति रनिंग फीट	
13	सिंगल फेस लाईट अस्थाई वायरिंग (फिलैक्सिबल पाईप सहित)	प्रति रनिंग फीट	
14	पैडस्टल फैन	प्रति नग	
15	मिस्ट फैन	प्रति नग	
16	डेजर्ट कूलर	प्रति नग	
17	पोल 15 Ft. (हेलोजन लाईट के लिए)	प्रति नग	
18	पोल 20 Ft. (हेलोजन लाईट के लिए)	प्रति नग	
19	जनरेटर (62 KVA) साइलेंट	प्रति नग	
20	जनरेटर (125 KVA) साइलेंट	प्रति नग	
21	डी.पी. बोक्स	प्रति नग	
22	अस्थाई विद्युत कनेक्शन (जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा)	जयपुर विद्युत वितरण निगम को भुगतान की गई वास्तविक राशि	
23	फलड लाईट	प्रति नग	

बिड़दाता के हस्ताक्षर मय सील

वरि.लेखाधिकारी
गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर
लोकेश कुमार सहल
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड

सहायक सचिव
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान